उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2004]

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय अधिनियमों को निरसित करने के लिए

अधिनियम

चूँकि यह समीचीन है कि कतिपय अधिनियम, जिनका प्रायः अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्टतः और विशिष्टतः निरसित कर दिये जायं ;

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004 कहा जायेगा ।

कतिपय अधिनियमों का निरसन

2–इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ।

अपवाद

3–धारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियम प्रयुक्त, नियमित अथवा निर्दिष्ट किया गया हो ;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा उपगत किसी अधिकार, आगम, आभार या दायित्व की अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति की या किसी अतीत के कृत्य या वस्तु के प्रमाण की वैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा ;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर या वकालत, वृत्ति या प्रक्रिया के संस्थापित अधिकार क्षेत्र, प्रकार अथवा दौरान पर, अथवा वर्तमान प्रथा, रीति–रिवाज, विशेषाधिकार, निर्बन्धन विमुक्ति पर अथवा नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में अथवा से, किसी भी, रीति से क्रमशः संपुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुए हों ;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रीति–रिवाज़, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, वृत्ति, व्यवहार, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति

---

[1]. उद्देश्य और कारणों के विवरण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखे ।

विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः प्राप्ति ही हो सकेगी ।

प्रथम अनुसूची

(देखिये धारा 2)

निरसन

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम
1	2	3
1956	30	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956
1957	5	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956
1958	42	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

उद्देश्य और कारण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विनियमीकरण समिति ने अपने प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों को क्रमशः नवम्बर, 2000 और जुलाई, 2001 में प्रस्तुत किया था और उक्त प्रतिवेदनों में की गयी अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निवेदन किया था । उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने की भी सिफारिश की थी । उक्त प्रतिवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित अधिनियमितियों को निरसित किया जाय :–

(1) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956

(2) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956

(3) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है ।